न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 38/2015

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी अजमेर .....*प्रार्थी*

बनाम

1. मोहनदास पुत्र भग्गूमल जाति सिंधी निवासी 665/1 शान्तिपुरा किश्चियन गंज अजमेर मालिक फर्म विनोद ट्रेडर्स, चौरसियावास रोड, वैशालीनगर, अजमेर।
2. फर्म विनोद ट्रेडर्स चौरसियावास रोड, वैशालीनगर, अजमेर जरिये मालिक फर्म .....*अप्रार्थीगण*

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित ;... 1. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी प्रर्वतन अधिकारी पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक– 08.08.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 30.12.96 को जिला रसद अधिकारी अजमेर के निर्देशन में प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी फर्म की जांच मालिक श्री मोहनदास पुत्र भग्गुमल जाति सिंधी निवासी 665/1 शान्तिपुरा किश्चियन गंज, अजमेर एवं मौजूद गवाहान की उपस्थिति में की गई। अप्रार्थी द्वारा सीमेन्ट का व्यवसाय किया जाता है वक्त जांच अप्रार्थी फर्म के यहॉ मूल्य सूचि एवं स्टॉक सूचि बोर्ड प्रदर्शित होना नहीं पाया गया जो कि राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 के खण्ड 15 के अन्तर्गत आवश्यक था। अप्रार्थी फर्म द्वारा इसकी पालना नहीं किये जाने कारण स्टॉक में पाई गई कुल 370 बोरी सीमेन्ट को राज्यहित में कब्जेराज लिया गया। कब्जे राज ली गई 370 बोरी सीमेन्ट को मय बारदाना आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राजसात किये जाने के आदेश हेतु प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये व जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। उपस्थित उभय पक्ष को सुना जाकर दिनांक 3.7.1997 को जप्त 370 बोरी सीमेन्ट को राजसात किया जाने का आदेश पारित किया गया। अप्रार्थी द्वारा इस आदेश के विरूद्ध जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 28.8.2002 द्वारा खारिज की गई जिसके विरूद्ध अप्रार्थी0 द्वारा दांडिक निगरानी राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर में प्रस्तुत की गई जिसमें पारित आदेश दिनांक 12.5.2015 के द्वारा ज़िला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3.7.1997 एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.8.2002 अपास्त करते हुए जिला कलक्टर, अजमेर को निर्देशित किया गया कि वे प्रार्थीगण पक्षकार के विद्वान अभिभाषक की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अधिसूचना एवं उनके द्वारा कोई विधिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये जावें तो उन पर गौर करते हुए पुनः दोनो पक्षों को सुनकर विधि अनुसार निर्णय पारित करें।

माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण पुनः दर्ज कर सुनवाई हेतु नियत किया गया। पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कथन किया कि दिनांक 30.12.96 को जिला रसद अधिकारी अजमेर के निर्देशन में प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी फर्म की जांच दौरान अप्रार्थी फर्म के यहॉ मूल्य सूचि एवं स्टॉक सूचि बोर्ड प्रदर्शित होना नहीं पाया गया। जो कि राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 के खण्ड 15 के अन्तर्गत आवश्यक था। अप्रार्थी फर्म द्वारा इसकी अवेहलना करने के कारण स्टॉक में पाई गई कुल 370 बोरी सीमेन्ट को राज्यहित में कब्जेराज लिया जाकर राजसात करने हेतु प्रस्तुत

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

प्रार्थना पत्र श्रीमान् के न्यायालय निर्णय दिनांक 3.7.1997 से स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरूद्ध जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत अपील भी खारिज किये जाने पर अप्रार्थी0 द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर में दांडिक निगरानी दायर की गई। जिसमें पारित आदेश दिनांक 12.5.2015 से अधिनस्थ न्यायालयों के दोनो आक्षेपित आदेश अपास्त कर अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अधिसूचना एवं विधिक दृष्टान्त पर गौर करते हुए पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करने के निर्देश प्रदान किये गये है। अपनी बहस जारी रखते हुए पैरोकार सरकार ने आगे कथन किया कि राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 के खण्ड 15 के तहत मूल्य सूचि एवं स्टॉक के प्रदर्शन की बाध्यता को संशोधित आदेश दिनांक 19.11.1997 से हटाया गया है। जबकि मौजूदा प्रकरण इससे पूर्व का है, तत्तसमय उक्त प्रावधान लागू थे जो इस पर चस्पा नहीं होते है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कब्जे राज ली गई 370 बोरी सीमेन्ट को मय बारदाना आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राजसात किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

बरवक्त बहस अभिभाषक अप्रार्थी/अप्रार्थी उपस्थित नहीं आये। न्यायहित में उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। अप्रार्थी का मुख्यतः कथन है कि जांच दिनांक 30.12.1996 में केवल मूल्य एवं स्टॉक सूचि का प्रर्दशन नहीं किया जाना पाया गया। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा सीमेन्ट से सन् 1989 से नियंत्रण समाप्त कर दिये जाने से सन् 1980 के प्रावधान सीमेन्ट के व्यवसाय पर लागू नहीं होते है। अप्रार्थी पर केवल मूल्य एवं स्टॉक सूचि के प्रदर्शन नहीं करने की ही अनियमितता आरोपित है जबकि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22.11.90 से 1980 के आदेश के नीचे दिये गये शेड्यूल संख्या 02 में क्रम संख्या 02 पर सीमेन्ट को जोडा गया जिसके व्यापार के लिए अनुज्ञापत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। इससे ज़ाहिर है कि मूल्य सूचि एवं स्टॉक सूचि के प्रदर्शन की भी आवश्यकता नहीं थी। अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अप्रार्थी फर्म पर मूल्य/स्टॉक सूचि के प्रदर्शित नहीं होने के अलावा अन्य कोई गंभीर आरोप, आरोपित नहीं है। अप्रार्थी द्वारा नियमो का उल्लघंन नहीं किया गया है अतः अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त करते हुए जब्त 370 कट्टे सीमेन्ट उन्हे वापिस लौटाये जावें।

हमने उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया, रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र कथनो का ज़रिये ठोस दस्तावेजी साक्ष्य, सबूत के खण्डन नहीं किया गया जिससे यह साबित होता कि जांच दिनांक को सीमेन्ट के मामले में मूल्य सूचि एवं स्टॉक का प्रर्दशन आवश्यक नहीं था। पैरोकार सरकार के मुताबिक राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 के खण्ड 15 के तहत मूल्य सूचि एवं स्टॉक के प्रदर्शन की बाध्यता को संशोधित आदेश दिनांक 19.11.1997 से हटाया गया है। अप्रार्थी फर्म द्वारा सीमेन्ट का व्यवसाय किया जाता था तथा जांच दिनांक 30.12.1996 को अप्रार्थी फर्म के व्यवसाय स्थल (दुकान) पर मूल्य सूचि एवं स्टॉक सूचि बोर्ड प्रदर्शित होना नहीं पाया गया जो कि तत्समय आवश्यक था। अप्रार्थी द्वारा बरती गई अनियमितता, राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 के खण्ड 15 का तत्समय स्पष्ट उल्ल्घंन पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 370 बोरी सीमेन्ट को राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 8.8.2018 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर